Volume: 4 Issue: 12 Pages: 180-182

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में महिला सशक्तिकरण: एक समीक्षात्मक अध्ययन

[*1] डॉ. लता धुपकरिया

[*1] सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस श्री कृष्णाजीराव पवार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवास, मध्य प्रदेश, भारत।

Article Info.
E-ISSN: 2583-6528
Impact Factor (SJIF): 6.876
Peer Reviewed Journal
Available online:
www.alladvancejournal.com

Received: 18/Nov/2025
Accepted: 22/Dec/2025

***Corresponding Author**
डॉ. लता धुपकरिया
सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस श्री कृष्णाजीराव पवार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवास, मध्य प्रदेश, भारत।

सारांश
अंबेडकर जिनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व सामानता एवं न्याय का यथार्थ प्रतीक है, समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं अन्याय के प्रति चिंता एव चिंतन उनके जीवन का अभिन्न अंग रही है, इसी चिंतन में जहां समाज का हर कमजोर वर्ग शामिल है जिसमें महिलाओं के प्रति चिंतन भी विशेष स्थान रखता है, अंबेडकर ना केवल महिला शिक्षा एवं अधिकारों की बात करते हैं बल्कि संविधान के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास भी करते हैं क्योंकि ऐसे अधिकारों का कोई मूल्य नहीं जिन्हें कानूनी रूप ना दिया जाए अंबेडकर ऐसे समय में महिलाओं के सशक्तिकरण शिक्षा एवं अधिकारों की बात करते हैं जीस समय ऐसे मुद्दों पर विचार करना ही एक स्वप्न मात्र प्रतीत होता था, अर्थात महिलाओं के सशक्तिकरण का विचारअंबेडकर के मस्तिष्क में जन्म लेता हैऔर संविधान में स्थान प्राप्त कर यथार्थ रूप धारण करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कई ऐसे प्रावधान रखें गए हैं जो उन्हें सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाते हैं निश्चित ही जबकि आज भारतीय महिलाएं हर क्षेत्र में एक सशक्त व्यक्तित्व के रूप में उभर रही हैं जिसका श्रेय संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है, जिन्होंने महिलाओं के ऐसे संवेदनशील पहलुओं पर ध्यान आकर्षित किया है जो अब तक किसी के विचार में भी शामिल नहीं थे।

मुख्य शब्द: महिला सशक्तिकरण, नारीवादी मुद्दे, कानूनी प्रावधान, लैंगिक असमानता, महिला कोड बिल, सामाजिक कुरीतियां

प्रस्तावना:

भारत एक ऐसा देश रहा है जिसकी ज्ञान परंपरा एक स्त्री को देवी तुल्य अर्थात शक्ति का प्रतीक मानती है वह स्त्री जो शक्ति स्वरूपा थी किस तरह काल के प्रभाव में परिस्थितिवश कमजोर वर्ग में शामिल होती चली गई जिसका अपना एक इतिहास है, भारत के सामाजिक व्यवस्था में एक ऐसा दौर भी रहा है जहां महिलाएं बाल विवाह, पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा जैसी कुरीतियों का केंद्र रही है इस दौर में निश्चित ही महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी जहां महिलाओं के साथ प्रथाओं, परंपराओं के नाम पर दुर्व्यवहार किया जाता था इस सामाजिक व्यवस्था में जहां एक और अंबेडकर सामाजिक न्याय एवं जाति व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे इसी बीच कमजोर श्रेणी में शामिल महिलाओं के अधिकारियों की बात भी अंबेडकर के द्वारा की गई। मुंबई की महिला सभा को संबोधित करते हुए अंबेडकर ने कहा था कि, नारी राष्ट्र की निर्मात्री है, हर नागरिक उसकी गोद में पलकर बढ़ा होता है, नारी को जागृत कियै बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है अर्थात नारी के विकास के बिना राष्ट्र का विकास नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत शोध आलेख के अंतर्गत ऐसे ही तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है की किस तरह डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ किया एवं अपने इस चिंतन को संविधान मैं स्थान देकर महिला सशक्तिकरण की इस यात्रा को एक कारगर अंजाम तक पहुंचा।

महिला सशक्तिकरण

जब भी महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है तो सबसे पहले यह समझ लेना अनिवार्य है कि महिला सशक्तिकरण से अभिप्राय क्या है? यहां सशक्तिकरण से अभिप्राय महिलाओं को पुरुष के जैसा बनना नहीं है बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना है अधिकार संपन्न बनना है ठीक वैसे ही जीस तरह पुरुष को अधिकार संपन्न बनाया गया है ।महिलाओं को किसी भी अधिकार से केवल इसलिए वंचित नहीं रखा जा सकता है कि वह महिलाएं हैं! उन्हें शिक्षित करना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एवं गरिमा के साथ जीवन जिने की आजादी के अवसरों का सृजन करना है निर्णय-निर्माण में उनकी भागीदारी को बढ़ाना जिससे

समाज में उनके व्यक्तित्व की भी अपनी एक पहचान हो समाज में वे सम्मानजनक स्तर को प्राप्त कर सकें साथ ही उनके बढ़ते इस सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्तर को वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के द्वारा सहज स्वीकृति प्रदान करने से है।

19वीं सदि में यूरोप की लहर ने नारीवादी मुद्दे को एक आंदोलन का रूप प्रदान किया जिसका प्रभाव भारत में भी देखा गया जहां एक और भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी जा रही थी वहीं दूसरी ओर एक वर्ग नारी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा था इसी संघर्ष ने भारत में महिला सशक्तिकरण को कानूनी रूप प्रदान कियहै। यही कारण है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है खेल संगीत, फिल्म जगत, मनोरंजन, शासन, प्रशासन, राजनीतिक क्षेत्र सेना का क्षेत्र आदि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी योग्यता का परिचय ना दिया।अर्थात हर दृष्टि से महिलाओं को सबल बनाने की यह प्रक्रिया ही महिला सशक्तिकरण है।

सशक्तिकरण में अंबेडकर का योगदान

महिला अधिकारों के लिए अंबेडकर का चिंतनकेवल कल्पनाओं में या शब्दों तक ही सीमित नहीं था बल्कि वह उसे यथार्थ के धरातल पर उतारना चाहते थे यही कारण है कि जब भी उन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिला हर मंच पर उन्होंने महिला अधिकारों की बात कही है, 1916 में, कोलंबिया विश्वविद्यालय यूएसए में आयोजित सेमिनार में "कास्ट इन इंडिया: देयर मेकैनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट" विषय पर शोध पत्र पड़ा जो जातिवाद एवं जेंडर के अंतर संबंधों पर आधारित था, जिन्होंने जातीय संरचना मै महिलाओं की स्थिति को जेंडर की दृष्टि से समझाने की कोशिश की।

अंबेडकर के द्वारा महिला उत्थान के लिए किये गए कार्यों का उल्लेख इस प्रकार है:-

1. स्वतंत्रता से पूर्व वायसराय की कार्य, कार्यकारी परिषद में श्रम सदस्य रहते हुए, महिलाओ के लिए प्रसूति अवकाश की व्यवस्था की।
2. संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में संविधान के अनुच्छेद 14 के माध्यम से महिलाओं को सामानता का अधिकार प्रदान किया जिसके अंतर्गत लिंग के आधार पर किसी भी महिला के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है
3. लैंगिक असमानता को दूर करते हुए अंबेडकर के द्वारा संविधान के माध्यम से लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव के विरोध संबंधी कानून का प्रावधान किया गया,, इसके साथ ही महिलाओं की खरीद तथा उनके शोषण के विरूद्ध कार्य को अपराध संबंधित कानूनी प्रावधान किया गया।
4. उनके राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हुए पुरुषों के समान ही महिलाओं को भी वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया तथा चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा गया।
5. स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में महिला उत्थान के लिए अंबेडकर के द्वारा कई कदम उठाए गए, जिसमें 1951 महिलाकोड बिल को संसद में प्रस्तुत किया जाना प्रमुख है यह बिल बाद में, हिंदू विवाह कानून हिंदू उत्तराधिकार कानून एवं, हिंदू गुजारा एवं गोद लेने संबंधी कानून, के रूप में अलग-अलग नाम से पारित हुआ।
6. हिंदू कोड बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था जिसके माध्यम से बहू विवाह प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हुए हिंदुओं में केवल एक विवाह को ही विधिसंमत बताया गया, महिलाओं को भी पुरुषों के समान संपत्ति में अधिकार एवं बच्चों को गोद लेने का अधिकार प्रदान किया गया।
7. हिंदू समाज में केवल पहले पुरुषों को ही तलाक देने का अधिकार था किंतु इस बिल के माध्यम से अब महिलाओं को भी यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वह भी पुरुषों के समान तलाक दे सकती है।
8. आंबेडकर ने महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाते हुए उस समय व्याप्त सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह, देवदासनी तथा सती प्रथा के प्रति विरोध प्रकट करते हुए उन्हें एकजुट करते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया।
9. अंबेडकर ने सन 1928 में मुंबई में महिला कल्याणकारी संस्था की स्थापना की जिसके अध्यक्ष उनकी पत्नी रमाबाई थी।
10. जनवरी 1942 में डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 25000 महिलाएं उपस्थित हुई जो अंबेडकर के द्वारा चलाए गये महिलाओं के प्रति जागरूकता अभियान का परिणामहोगी।
11. इस सम्मेलन में ही अंबेडकर के द्वारा महिला शिक्षा की बात कही गई जीस तरह एक परिवार एक लड़के की शिक्षा पर जागरूक रहता है ठीक उसी प्रकार लड़कियों की शिक्षा पर भी जागरूकता दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि शिक्षित महिला एक विकसित समाज का मजबूत आधार साबित होगी।

अतः डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं को सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक सामानता, स्वतंत्रता प्रदान कर संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हैं यह संरक्षण उनके सशक्तिकरण को प्रमाणित करता है

विश्लेषण

भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित उद्धार के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे 1913 में जब अंबेडकर न्यूयॉर्क पहुंचे और उन्होंने देखा कि यहां स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं है यहां स्त्रियों को भी इसी तरह अधिकार प्राप्त हैं जीस तरह की पुरुषों को इस तरह की सामाजिक व्यवस्था देखकर वे आश्चर्यचकित थे तथा उन्होंने यह निर्णय लिया कि भारत लौटकर वह भी अपने देश की महिलाओं के लिए इसी तरह की एक व्यवस्था को निर्मित करने का प्रयास करेंगे कि महिलाएं भि पुरुषों के समान अधिकार संपन्न बन सके।

अंबेडकर जानते थे कि भारत देश में संविधान और जीवन सिद्धांत एवं व्यवहार, आदर्श एवं यथार्थ के बीच एक बड़ी रिक्ता है, जिस कारण महिलाओं को वह अधिकार एवं सम्मान नहीं दिया जाता है जिसकी वै हकदार है, इसलिए उन्होंने संविधान निर्माण के दौरान, महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून को बहुत ही सजकता से केंद्र में लाने का काम किया, उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिए जाने के लिए महिला आंदोलन का समर्थन किया, तथा महिला शिक्षा पर जोर दिया यही कारण है कि अंबेडकर की प्रेरणा से प्रेरित होकर, 1924 में जया बाई चौधरी ने "चोखा मेला कन्या पाठशाला" की शुरुआत की, जो आगे चलकर जयबाई चौधरी विद्यापीठ के नाम से स्थापित हुआ, अंबेडकर महिलाओं को पूरी आजादी देने के पक्ष में थे यही कारण है कि उन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया तथा उनकी स्थिति सुधारने का प्रयास किया, उनका मानना था कि महिलाओं की भागीदारी के बिना शिक्षा का कोई महत्व नहीं है।

उन्होंने अपने दो अखबार मुख्य नायक और बहिष्कृत भारत, कै द्वारा महिलाओं की समस्याओं को उठाया एवं उनके अधिकारों की बात कही साथ ही कई मंचों के माध्यम से उस समय व्याप्त सामाजिक कुरीतियां जैसे बाल विवाह, बहू विवाह, देवदासिनी प्रथा, सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई, उन्होंने परिवार में बेटे बेटियों के साथ भेदभावपूर्ण परवरिशका विरोध किया, और दलितों सेअपनी बेटियों की शादी कम उम्र में नाकरने का अनुरोध किया, 10 नवंबर 1938 मुंबई विधानसभा में जिस तरह से अंबेडकर ने परिवार नियोजन की वकालत की वह निश्चित ही उस समय, का बहुत ही साहसिक कदम था उनका मानना था कि महिलाओं को संतान उत्पत्ति की मशीन ना समझा जाए महिलाओं को भी अधिकार होना चाहिए कि वह निश्चित

कर सके की उन्हें कितनी संतानों को जन्म देना है, 1942, 46 के मध्य वायसराय की काउंसिल में श्रम सदस्य के रूप में उन्होंने, कई पुराने कानून में बदलाव किया जिसमें, कार्यस्थल पर पानी की व्यवस्था कारखानो में काम कियै जाने वाले घंटे को कम करना, महिलाओं को पुरुषों के समान समान कार्य के लिए समान वेतन, बच्चों के लिए झूला घर, स्वास्थ्य एवं बीमा सुविधा, आदि संबंधित प्रावधान शामिल है, 1944 में मजदूर भलाई कोष की स्थापना की गई जिसमें पहली बार महिलाओं के लिए, जिला अस्पताल, शिक्षा, मनोरंजन के केंद्र खोलने आवास, योजना के अंतर्गत पहली बार महिलाओं के लिए किया बनाने, का कार्य किया।

महिलाओं के विभिन्न पक्षों पर गहन चिंतन एवं अध्ययन करने के पश्चात अंबेडकर ने Rise and fall of Hindu women नामक पुस्तक लिखी भारतीय महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल अंबेडकर के गहन मानसिक चिंतन का परिणाम था, इसमें 139 धारा एवं 7 अनुसूचियां थी जिसे महिला मुक्ति का दस्तावेज भी कहा जाता है अथक प्रयासों के बावजूद यह बिल उस समय पारित नहीं हो सका जो बाद में अलग-अलग भागों में जिसे पारित किया, अतः उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि डॉक्टर अंबेडकर उस समय में एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे जो महिलाओ की तकलीफों के प्रति के संवेदनशील थै उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके निराकरण हेतु संवैधानिक उपचार का मार्ग खोजा तथा उन्हें हर तरह से सशक्त बनाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी!

निष्कर्ष:

सारतःडॉ आंबेडकर ऐसे समय में महिला अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे जबकि महिलाओं को शिक्षित करने की आकांक्षा भयभीत करने वाली थी तथा सती प्रथा को परंपरा मानकर जीवन समाप्त कर देना, बाल विवाह को मोन स्वीकृति देना, बलयकाल में ही विधवा हो जाने पर जीवन पर्यंत इस अवस्था में जीवन गुजार देना, पितृ सत्तात्मक समाज, मायका एवं ससुराल के अतिरिक्त महिला की कोई पहचान ना होना, उन्हें उनके श्रम का उचित मूल्य ना मिलना आदि कई ऐसी विषम परिस्थितियों थी जिनके लिए अंबेडकर यदि किसी को उत्तरदाई मानते थे तो वह थी अशिक्षा एवं अज्ञानता इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महिला शिक्षा पर जोर दिया वे उनके स्वावलंबी बनने का समर्थन करते हैं पुत्र के समान ही पुत्री को भी संपत्ति में हिस्सेदारी, विधवा पुनर्विवाह, समान कार्य के लिए समान वेतन की वकालत करते हुए वे महिलाओं को हर तरह से शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं अर्थात आज महिलाएं भारत में यदि एक सशक्त अवस्था में है तो इसका अधिकांश श्रेय निश्चित ही डॉक्टर अंबेडकर को जाता है!

संदर्भ सूची:

1. आर्य डॉ. राकेश कुमार, महिला सशक्तिकरण और भारत, डायमंड बुक्स प्रकाशन, दिल्ली 2024
2. कुमार सतीश महिला सशक्तिकरण चुनोतिया एवं सम्भावनाये नालंदा प्रकाशन 2024
3. मल्होत्रा ममता महिला अधिकार राजकमल प्रकाशन दिल्ली 2023
4. सिंहवाल एकता संविधान, महिलाएँ और लैंगिक समानता कानून: तुलनात्मक अध्ययन डायमंड बुक्सप्रकाशन, दिल्ली 2024
5. सिंह प्रीतम, प्रसाद गोपाल भीमराव अंबेडकर महिला सशक्तिकरण के विशेष संदर्भ में संजय प्रकाशन 2023
6. सिंह डॉक्टर कुलदीप, महिला अधिकारों के लिए डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अंबेडकर डा् भीमराव हिंदू महिलाओं काउत्थान एवं पतन दिल्ली, एस. एस. गौतम, डॉ. आंबेडकर एवं दलित महिलाएं, सिद्धार्थ बुक्स प्रकाशन दिल्ली 2019
7. दुबे डॉ. कमलेशकला प्रकाशन वाराणसी डॉ. आंबेडकर चिंतन के विविध आयाम, 2012
8. शर्मा डॉ. सविता, पांडे डॉ. रामशकल लिंगिक मुद्दे एवं मानवाधिकार शिक्षा (लिंग मुद्दे और मानवाधिकार शिक्षा) 2012,